

106630 - कुर्बानी और अक्रीका को एक ही जानवर में संयोजन करने का हुक्म

प्रश्न

क्या कुर्बानी और अक्रीका की नीयत से एक ही जानवर ज़बह करना जायज़ है?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

यदि कुर्बानी और अक्रीका एकत्रित हो जाएं और कोई व्यक्ति ईदुल-अज़हा के दिन, या तश्रीक के दिनों में अपने बच्चे का अक्रीका करना चाहे, तो क्या कुर्बानी का जानवर अक्रीका के लिए भी पर्याप्त होगा?

फुक्रहा (धर्म शास्त्रियों) ने इस मुद्दा में दो कथनों पर मतभेद किया है :

पहला कथन: कुर्बानी का जानवर अक्रीका के रूप में पर्याप्त नहीं होगा। यह मालिकिय्या और शाफेइय्या का मत है और इमाम अहमद रहिमहुल्लाह से एक रिवायत है।

इस विचार को मानने वालों का तर्क यह है कि: उन दोनों – अर्थात अक्रीका और कुर्बानी – में से हर एक व्यक्तिगत रूप से अपेक्षित है, इसलिए उनमें से एक दूसरे के रूप में पर्याप्त नहीं होगा। और इसलिए कि उनमें से प्रत्येक का एक अलग कारण है जो दूसरे से भिन्न है। इसलिए उनमें से एक को दूसरे के रूप में नहीं माना जा सकता है, जैसे कि हज्ज तमत्तू का दम और फिद्या का दम (कुर्बानी)।

अल-हैतमी रहिमहुल्लाह "तोहफतुल-मुहताज शर्ह अल-मिनहाज" (9/371) में कहते हैं : "हमारे साथियों के शब्दों का प्रत्यक्ष अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति एक बकरी से कुर्बानी और अक्रीका दोनों की नीयत करता है तो उसे दोनों में से कोई एक उद्देश्य भी प्राप्त नहीं होगा। यह बात स्पष्ट है क्योंकि उन दोनों में से प्रत्येक, एक अपेक्षित सुन्नत है।" उद्धरण समाप्त हुआ।

अल-हत्ताब रहिमहुल्लाह ने "मवाहिबुल-जलील" (3/259) में फरमाया : "यदि उसने अपने जानवर को कुर्बानी और अक्रीका के लिए ज़बह किया या उसे शादी की दावत के तौर पर खिला दिया, तो "अज़-ज़खीरा" में कहा गया है : अल-क़बस के लेखक ने कहा : हमारे शैख अबू बक्र अल-फ़िही ने कहा : यदि वह अपने बलिदान के जानवर को कुर्बानी और अक्रीका दोनों के रूप में ज़बह करता है, तो यह उसके लिए पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन यदि वह इसे शादी की दावत के रूप में खिला देता है तो वह उसके लिए काफी होगा। यह अंतर इसलिए है कि पहले दोनों मामलों में उद्देश्य जानवर का खून बहाना है और उस एक जानवर का खून बहाना दो खून बहाने के रूप में प्रयाप्त नहीं होगा। जबकि वलीमा का उद्देश्य खाना खिलाना है, और यह खून बहाने के विरुद्ध नहीं है, अतः इसमें संयोजन हो सकता है। अंत हुआ" उद्धरण का अंत हुआ।

दूसरा कथन: कुर्बानी का जानवर अक्रीका के रूप में पर्याप्त होगा। यह इमाम अहमद से एक रिवायत और हनफिय्या का मत है। तथा यही हसन अल-बसरी, मुहम्मद बिन सीरीन और क़तादा रहिमहुमुल्लाह का भी कथन है।

इस विचार के मानने वाले लोगों का तर्क यह है कि: उन दोनों का उद्देश्य जानवर ज़बह करके अल्लाह की निकटता प्राप्त करना है। इसलिए उनमें से एक दूसरे में शामिल हो सकता है, जैसे कि मस्जिद में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के लिए तहिय्यतुल मस्जिद फर्ज़ नमाज़ में शामिल हो जाती है।

इब्ने अबी शैबा रहिमहुल्लाह ने “अल-मुसन्नफ” (5/534) में हसन से रिवायत किया है कि उन्होंने ने कहा : “यदि वे बच्चे की ओर से कुर्बानी करें तो यह उसकी तरफ से अक्रीका के रूप में पर्याप्त हो जाएगा।”

तथा हिशाम और इब्ने सीरीन से वर्णित है कि उन्होंने ने कहा : उसकी ओर से कुर्बानी अक्रीका के रूप में भी पर्याप्त होगी।

तथा क़तादा से वर्णित है कि उन्होंने ने कहा : जब तक अक्रीका नहीं किया जाता है तब तक उसकी ओर से कुर्बानी पर्याप्त नहीं होती है।

अल-बहूती रहिमहुल्लाह ने “शर्ह मुन्तहल इरादात” (1/617) में फरमाया : “यदि अक्रीका और कुर्बानी का समय एक साथ हो जाए, इस प्रकार कि सातवां दिन या इसी तरह का अन्य दिन कुर्बानी के दिनों में पड़ जाता है, और वह अक्रीका करता है तो यह कुर्बानी के रूप में काफ़ी होगा, या उसने कुर्बानी की तो यह अक्रीका के रूप में पर्याप्त होगी। यह ऐसे ही है जैसे कि ईद का दिन शुक्रवार को पड़ जाए, तो वह उनमें से किसी एक के लिए स्नान करे। इसी तरह तमचू या क़िरान हज्ज करनेवाले का कुर्बानी के दिन बकरी ज़बह करना, जो कि अनिवार्य हदी के रूप में और कुर्बानी के रूप में भी प्रयाप्त होगा।” उद्धरण का अंत हुआ।

तथा अल-बहूती रहिमहुल्लाह ने “कशशाफुल क़िनाअ” (3/30) में फरमाया : “यदि अक्रीका और कुर्बानी एक साथ पड़ जाएं, और वह उन दोनों अर्थात् अक्रीका और कुर्बानी के लिए जानवर ज़बह करने का इरादा करे तो वह जानवर स्पष्ट रूप से दोनों के लिए पर्याप्त होगा [अर्थात् इमाम अहमद ने इसे स्पष्ट रूप से वर्णन किया है]” उद्धरण का अंत हुआ।

इस कथन (विचार) को शैख मुहम्मद बिन इब्राहीम रहिमहुल्लाह ने अपनाया है, वह कहते हैं : “यदि कुर्बानी और अक्रीका एक साथ पड़ जाएं तो घर के मालिक के लिए जो अपनी तरफ़ से कुर्बानी करने का इरादा रखता है एक जानवर पर्याप्त होगा। चुनांचे वह उसे कुर्बानी के रूप में ज़बह करेगा और अक्रीका उसमें शामिल हो जाएगा।

उनमें से कुछ के शब्दों से यह मतलब निकलता है कि दोनों का एक ही व्यक्ति के लिए होना आवश्यक है: अर्थात् कुर्बानी और अक्रीका छोटे बच्चे की तरफ से किया जाना चाहिए। जबकि दूसरों के शब्दों के अनुसार, यह शर्त (आवश्यक) नहीं है, अगर कुर्बानी करने वाला पिता है तो कुर्बानी पिता की तरफ से होगी और अक्रीका बच्चे की ओर से होगा।

निष्कर्ष : यह कि यदि वह कुर्बानी की नीयत से जानवर को ज़बह करता है और अक्रीका की भी नीयत कर लेता है तो पर्याप्त है।” उद्धरण का अंत हुआ।

“फतावा अश-शैख मुहम्मद बिन इब्राहीम” (6/159).

और अल्लाह तआला ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान रखता है।